

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनु०-3 के शासनादेश सं०-883 (i)/x-3-2011-8(21)/2010 दिनांक 04 अक्टूबर 2011 के शासनादेश संख्या 2882/XVIII/11-18(120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के अनुसार थराली से पैनगढ मोटर मार्ग में अधिगृहीत सिविल भूमि की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक ~~2-12-17~~ का तहसील स्तरीय कमेटी के द्वारा किया गया। प्रस्तावित क्षेत्रफल ग्राम पैनगढ खाता खं०सं० 2382 रक्बा 1.452 है० 2383 रक्बा 0.814 है० म० 0.778 है० कुल भूमि 2.230 है०, खसरा सं० 2011 रक्बा 1.874 है० एवं 1304 रक्बा 1.808 है० कुल 3.682 है० एवं ख०स० 276 रक्बा 3.712 है० कुल सम्पूर्ण भूमि 9.624 है० उपयुक्त है।

भूमि राज्य सरकार की श्रेणी 9 (3) ड में दर्ज कागजात है एवं सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज नहीं है।

प्रस्तावित क्षेत्रफल उक्त खसरा न० कुल अर्जित रकवा 9.624 है० में क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण हेतु ग्राम पैनगढ सिविल भूमि पटवारी-थराली तहसील-थराली जिला चमोली की उक्त भूमि वन विभाग के हक में संस्तुति की जाती है।

DAE

सहायक अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
उपखण्ड-कर्णप्रयाग

अधिशायी अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
खण्ड-कर्णप्रयाग

२००३ (२००३)

तहसीलदार

तहसीलदार  
धरमा

उपजिल्हाधिकारी  
उपजिल्हाधिकारी  
धराली  
धराली

मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली  
बदीनाथ वन प्रमाण पत्रेश्वर